न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर जिला हनुमानगढ़(राज.)

पीठासीन अधिकारी– चंचल वर्मा आर.ए.एस.
अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

प्रकरण संख्या–67 / 2016

1. लालचन्द पुत्र शेराराम जाति जाट निवासी पूरबसर तहसील रावतसर।

– अपीलान्ट

बनाम

1. नायब तहसीलदार राजस्व पल्लु तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
2. एम.डी. श्रीगंगानगर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड हनुमानगढ़ जक्शन जिला हनुमानगढ़।
3. अध्यक्ष श्रीगंगानगर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड हनुमानगढ़ जंक्शन जिला हनुमानगढ़ ।

–रेस्पोडेन्ट

उपस्थितः– श्री राजपाल झोरड़ अधिवक्ता अपीलांट।
श्री हवासिंह पूनियां, श्री देवदत भीडासरा, श्री रामकुमार कस्वां
अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या–2, 3

निर्णय दिनांकः–22/02/2023

अपीलांट लालचन्द पुत्र शेराराम जाति जाट निवासी पूरबसर तहसील रावतसर ने विरूद्ध नामान्तरण सं0 1511 नायब तहसीलदार राजस्व पल्लु द्वारा दिनांक 29.9.2016 को तस्दीक किया गया को, अपास्त करवानें हेतु अपील प्रस्तुत की हैं, जिसके संक्षेप में तथ्य निम्न प्रकार है–

1. यह कि यह कि अपीलान्ट की रोही मौजा पूरबसर तहसील रावतसर जो कि पूर्व में तहसील नोहर की खसरा नं0 538 की तादादी 21.03 बीघा भूमि जो अब नये माप में 5.098हैक्टेयर में तब्दील हो चूकी है, दिनांक 03.12.1977 को एस.डी.ओ. कोर्ट नोहर के द्वारा आंवटन की गयी थी, जिसका आवटन पट्टा अपीलान्ट को जारी पट्टा संख्या 1279 दिया गया था तथा उक्त भूमि सन 1977 से पूर्व ही अपीलान्ट के कब्जा काश्त में चली आ रही है। जिसके आधार पर अपीलान्ट को आंवटन की गयी की तथा आज की मौके पर अपीलान्ट के कब्जा काश्त में चली आ रही है, मगर राजस्व विभाग के कर्मचारियों के द्वारा जानबूझ कर उक्त आवंटन आदेश के बाबवूद अपीलान्ट के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं की गयी। अपीलान्ट के द्वारा काफी प्रयास के बावजूद नामान्तरण की कार्यवाही अमल में लाई नहीं गयी तथा बावजुद इसके अपीलान्ट की उसकी आवटन शुद्धा भूमि के बाबत बार–बार धारा 22 की कार्यवाही करते रहे, जिसमे वादग्रस्त भूमि पर अपीलान्ट का कब्जा साबित है। बावजुद इसके अपीलान्ट की आवंटन शुद्वा भूमि का नामान्तरण श्रीगंगानगर जिला दुग्ध डेयरी के जिला कलक्टर के आदेश क्रमांक 3807–5813

22/2/23
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

दिनांक 26.08.16 को ताबे दिनांक 29.9.2016 को अपीलान्ट की आवंटन शुद्वा भूमि का नामान्तरण दर्ज कर दिया जिससे व्यथित होकर अपील अपीलान्ट निम्न आधारो पर अपील हाजा प्रस्तुत कर रहा है–

(1) यह कि अपीलाधीन नामान्तरण कतई गलत व विधि के सिद्धान्तो के विपरित है तथा काबिले खारिजी के है, नकल नामान्तरण सलंग्न अपील मिमो के है।

(2) यह कि वादग्रस्त भूमि अपीलान्ट की सन् 1977 से आवंटन शुदा है तथा तभी से उसके कब्जा काश्त में चली आ रही है, बावजूद इसके रेस्पोडेन्ट सं0 1 ने दुग्ध डेयरी को अपीलान्ट 2.024 हैक्टेयर भूमि का आवंटन किया गया है, जो विधि के सिद्धान्तो के विपरीत है तथा अपीलान्ट की भूमि का गलत रूप से आवंटन किया गया है, जो उसके कब्जे व आवंटन शुद्वा भूमि का किया गया है।

(3) यह कि रेस्पोडेन्ट संख्या–1 को यह भली भान्ति ज्ञान था कि वादग्रस्त भूमि अपीलान्ट की आवंटन शुद्वा भूमि है। चुकि अपीलान्ट के द्वारा बार–बार अपनी भूमि का नामान्तरण करने की फरीयाद कर रहा है, बावजूद इसके अपीलान्ट की भूमि का आवंटन करने का प्रस्ताव तैयार कर कानूनी भूल कारित की है, जो कि काबिले खारिज है।

(4) यह कि अपीलान्ट के द्वारा एक वाद राजस्व कोर्ट रावतसर अपने पडौसी के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का भी जैरकार था, जिसमें स्थगन आदेश भी जारी था, जिसमे वादग्रस्त भूमि की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश की जारी था, बावजूद इसके रेस्पोडेन्ट संख्या–1 के द्वारा आवंटन का प्रस्ताव तैयार करके जिला कलक्टर को भिजवाया गया, जो विधि के मूल भूत सिद्धान्तों के विपरीत है तथा काबिले खारिज है।

(5) यह कि अपीलान्ट सन् 1977 से आज तक लगातर शान्ति पूर्वक अपनी आवंटन शुद्वा भूमि काश्त करता चला आ रहा है मगर रेस्पोडेन्ट संख्या– 1 के द्वारा गलत रिर्पोट प्रस्तुत कर उसकी आवंटन शुदा भूमि में खलल पैदा किया है, जो कतई गलत है तथा उक्त नामान्तरण इसी आधार पर काबिले खारिज है।

2. यह कि अपीलान्ट अपनढ़ खेती करने वाला एक किसान है तथा वह कानून की दाव पेचिदगीयों के बारे में जानकार नहीं है, चुंकि वह कई बार अपनी भूमि का नामान्तरण हेतु आवेदन कर चुका है मगर कोई गौर नही किया गया। अब दिनांक 25.11.16 को पटवारी हल्का से मिला तथा अपनी भूमि का नामान्तरण के बाबत बात की, तो पटवारी हल्का द्वारा बतलाया गया कि उक्त भूमि सहकारी दुग्ध उत्पादन केन्द्र के नाम से नामान्तरण दर्ज हो गया है तथा अब उक्त भूमि उनकी है जिस पर अपीलान्ट के द्वारा नामान्तरण की नकल चाही नकल मिलने के बाद अब बिना किसी देरी के अपील हाजा प्रस्तुत कर रहा है, जो ज्ञान के अभाव में अन्दर मियाद है।

3. यह कि अपील अपीलान्ट न्यायालय के क्षेत्राधिकार की है तथा उचित कोर्ट फीस पर तहरीर कर पेश है।

4. यह कि अन्य मुददे वर वक्त बहस अर्ज किये जावेगे ।

अतः अपील अपीलान्ट प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर नामान्तरण संख्या 1511 दिनांक 29.09.2016 को निरस्त फरमाया जावे।

अपील पेश होनें पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रेस्पोडेन्ट को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। उपतहसीलदार पल्लू से रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या–2, 3 की ओर श्री हवासिंह पूनिया एडवोकेट, श्री देवदत भिडासरा एडवोकट,

22/2/23
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

श्री रामकुमार कस्वां एडवोकेट उपस्थित। रेस्पोडेन्ट संख्या– 2, 3 की ओर से विधिक आपतियां पेश की गई, जो इस प्रकार है–

(क) यह कि राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप 3) विभाग के आदेश क्रमांक प. 2 (64) राज. 3/15 जयपुर दिनांक 12.05.15 के द्वारा राजस्थान सरकार की अधिसूचना राजस्व (ग्रुप – 6) विभाग क्रमांक प. 6 (12) राज.– 699 पार्ट/8 जयपुर दिनांक 30.04.14 की पालना मे अनाधिकृत राजकीय भूमि रेस्पोडेन्ट संस्था श्रीगंगानगर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति हनुमानगढ जंक्शन को दुग्ध अवशीतन केन्द्र हेतु ग्राम पूरबसर के खसरा नम्बर 538 की 5.098 हैक्टर भूमि मे से 2.024 हैक्टर की किस्म परिवर्तन कर दुग्ध अवशीतन केन्द्र स्थापित करने हेतु स्वीकृति प्रदान की। जिसकी पालना मे जिला कलक्टर हनुमानगढ द्वारा अपने आदेश क्रमांक एफ–12 (3) (87) राज./11/2374 दिनांक 26.05.2016 को खसरा नं. 538 की 2.024 हैक्टर भूमि आवंटन करने हेतु स्वीकृति प्रदान करके 4,92,650/–रूपये कीमत व 49270/–रूपये प्रतिवर्ष लीज राशि जमा करवाने हेतु आदेश पारित किया जिसकी पालना मे अप्रार्थी संस्था द्वारा जरिये चालान सं. 179 व चालान सं. 178 दिनांक 23.06.16 के द्वारा 4,92,650/– रूपये कीमत व 49270/– रूपये एक वर्ष की लीज राशि जमा करवा दी व तहसीलदार रावतसर द्वारा पत्र क्रमांक 1058 दिनांक 04.07.16 जिला कलक्टर हनुमानगढ को सूचना भिजवाने पर जिला कलक्टर हनुमानगढ ने अपने आदेश क्रमांक एफ–12 (3) (87) राज/11/3806 दिनांक 26.08.16 के द्वारा रोही पूरबसर के खसरा न. 538 की 5.098 हैक्टर मे से 2.024 हैक्टर अकृषि प्रयोजन (दुग्ध अवशीतन केन्द्र) हेतु आवंटन कर दी व उक्त आदेश की पालना के जरिये इन्तकाल संख्या 154 दिनांक 29.09.16 के द्वारा आवंटन शुदा भूमि अप्रार्थी संस्था श्रीगंगानगर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि. हनुमानगढ जं0 के नाम राजस्व रिकार्ड मे अंकन कर दिया गया। नकल फोटो कापी पत्र क्रमांक 15 दिनांक 12.06.15 अधिसूचना राजस्व (ग्रुप– 6) विभाग क्रमांक प.6 (12) राज./6/99 पार्ट/8 जयपुर दिनांक 30.04.16 आदेश क्रमांक एफ–12(3) (87) राज./11/2374 दिनांक 26.05.16 जिला कलक्टर हनुमानगढ नकल चालान सं 178 व 179 दिनांक 23.06.16 नकल पत्र क्रमांक 1058 दिनांक 04.07.16 तहसीलदार रावतसर आदेश क्रमांक 3806 दिनांक 26.08.16 जिला कलक्टर हनुमानगढ संलग्न आपत्तिया है।

(ख) यह कि अपीलान्ट द्वारा श्रीमान जिला कलक्टर हनुमानगढ द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.08.16 की पालना मे नायब तहसीलदार पल्लू द्वारा दर्ज किये गये इन्तकाल सं. 154 दिनांक 29.09.16 के विरूद्ध उपरोक्त अपील धारा– 75 भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश की गई है। उक्त इन्तकाल सक्षम न्यायालय के आदेश की पालना मे दर्ज किया गया है। जब तक आदेश दिनांक 26.08.16 प्रभाव मे है तब तक उक्त आदेश की पालना मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया इन्तकाल निरस्त नही किया जा सकता है व अपीलान्ट को उक्त अपील प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नही है अपील इसी आधार पर खारिज किये जाने योग्य है।

(ग) यह कि अपीलान्ट ने न्यायालय जिला कलक्टर हनुमानगढ द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.08.16 के विरूद्ध न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ मे अपील अनवानी लालचन्द बनाम सरकार अपील सं0 240/16 दिनांक 23.09.16 को प्रस्तुत कर दी गयी है, जो अब भी लम्बित है व आगामी पेशी दिनांक 24.04.16 मुकर्रर है। अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अपने तथाकथित आवंटन आदेश दिनांक 03.12.77 के आधार पर की है। अपीलान्ट का वादग्रस्त भूमि मे आंवटन दिनांक 03.12.77 के आधार

22/4/16
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

पर कोई हित है या नही इस तथ्य निर्धारण उक्त अपील में ही हो सकता है। इसलिए श्रीमान न्यायालय मे प्रस्तुत अपील चलने योग्य नही है। नकल अपील संलग्न प्रार्थना पत्र है।

(घ) यह कि अपीलान्ट विचारण न्यायालय के समक्ष आवंटन प्रकरण मे पक्षकार नही था है व अपील प्रस्तुत करने से पूर्व धारा 96 सी.पी.सी. के तहत स्वीकृति प्राप्त नही की है, इसलिए उक्त अपील चलने योग्य नही है।

(ड़) यह कि अपीलान्ट द्वारा अपील पूर्णतया मियाद बाहर है। अपीलान्ट द्वारा इस अपील में निर्णय की जानकारी दिनांक 25.11.16 को पटवारी हल्का द्वारा होने बताई है व न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़ मे प्रस्तुत अपील मे निर्णय की जानकर दिनांक 08.09.16 को पटवारी हल्का में होना बताकर दिनांक 23.09.16 को अपील प्रस्तुत कर दी। दोनो अपीलो मे विरोधाभासी कथन किये गये है व अपीलान्ट द्वारा निर्णय दिनांक 26.08.16 के विरूद्ध अपील दिनांक 25.11.16 को पेश की है जो मियाद बाहर होने के कारण खारिज योग्य है।

(च) यह कि अपीलान्ट द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.08.16 को चुनौती देने का मुख्य आधार अपने पक्ष में उपखण्ड अधिकारी द्वारा राजस्व भू राज. (राजकीय भूमि का कृषि कार्य हेतू आवंटन) नियम 1970 के तहत किये गये आवंटन आदेश दिनांक 03. 12.77 को माना है। अपीलान्ट द्वारा बताये गये तथाकथित आवंटन आदेश मे खसरा नं. 538 की 21.03 बीघा अर्थात 5.381 हैक्टर भूमि आवंटन करना बताया है परन्तु खसरा नं. 538 मे केवल मात्र 5.098 हैक्टर अर्थात 20 बीघा 03 बिस्वा भूमि है। अपीलान्ट अपने पत्र मे 03.12.77 को भूमि का आवंटन होने का कथन करता है परन्तु गत 40 वर्षो तक उक्त आदेश का राजस्व रिकार्ड मे कही भी अकंन नही है व ना ही आवंटन के पश्चात भूमि का कब्जा देने या भूमि काश्त करने का कोई साक्ष्य है। तथाकथित आवंटन के आधार पर अपीलान्ट को मेरे वादग्रस्त भूमि में कोई अधिकार प्राप्त नही हो सकता। नियम 15 आवंटन नियम 1970 के तहत एक माह मे भूमि का कब्जा देने व राजस्व रिकार्ड मे अंकन करवाना आवश्यक है, यदि तहसीलदार ऐसा नही करवाता है तो आवंटी जिला कलक्टर के समक्ष आवेदन कर सकता है परन्तु आवंटन आदेश दिनांक 03.12.77 के पश्चात न तो आवंटी को भूमि का कब्जा दिया गया है व ना ही राजस्व रिकार्ड में अंकन किया गया है व आवंटन आदेश की पालना मे अपीलान्ट का भूमि पर कभी भी कब्जा नही रहा है। अतः आवंटन आदेश स्वतः निरस्त हो झूठा है। अपीलान्ट को उक्त आधार पर अपील पेश करने का कोई अधिकार नही है।

(छ) यह कि वादग्रस्त भूमि जिला कलक्टर द्वारा गैर कृषि कार्य हेतु 99 वर्ष की लीज पर अप्रार्थी संस्था को दी गई है। उक्त भूमि खसरा नम्बर 538 की 2.024 हैक्टर भूमि राज्य सरकार द्वारा दिनांक 12.05.15 को किस्म परिवर्तन की जाकर अकृषि कार्य हेतु उक्त आदेश की पालना मे अप्रार्थी संस्था को लीज पर दी गई है। इसलिए धारा 75 भू राजस्व अधिनियम के तहत अपील सुनवाई का क्षेत्राधिकार श्रीमान न्यायालय को नहीं है।

अतः विधिक आपत्तिया पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर इसी स्तर पर अपील खारिज फरमाई जावे।

22/2/23

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया कि रोही मौजा पूरबसर तहसील रावतसर जो कि पूर्व में तहसील नोहर के

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

खसरा नं0 538 की कुल 21.03 बीघा यानी 5.098 हेक्टेयर को दिनांक 03.12.21977 को कार्यालय उपखण्ड अधिकारी नोहर द्वारा आंवटन की गई थी जिसका आंवटन पट्टा संख्या 1279 जारी कर अपीलांट को दिया गया। उक्त अलॉटमेंट शुदा भूमि पर वर्ष 1977 से ही अपीलांट कब्जा काश्त में चली आ रही है लेकिन राजस्व विभाग के कर्मचारियों के द्वारा जानबूझकर कर उक्त आवंटन के आदेश के बावजुद अपीलांट के नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकन नहीं किया गया। अपीलांट के काफी प्रयास करनें के बाद भी नामान्तरण की कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई एंव अपीलांट को उसकी आंवटन शुदा भूमि के संबध में बार–बार धारा 22 की कार्यवाही करते रहे, जिसमें वादग्रस्त भूमि पर अपीलांट का कब्जा साबित है। इसके बावजूद अपीलांट की आवंटन शुदा भूमि का नामान्तरण श्रीगंगानगर जिला दुग्ध डेयरी के नाम कार्यालय जिला कलक्टर हनुमानगढ़ के आदेश क्रमांक 3807–3813 दिनांक 26.08.2016 द्वारा किया गया। अतः श्री गंगानगर जिला दुग्ध डेयरी नाम से दर्ज नामान्तरण के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट का आंवटन कागजी है एंव इस आंवटन को चुनौती दी जा चुकी है।

हमनें दोनों पक्षो की बहस सुनी एंव पत्रावली का अवलोकन, मनन किया। अपीलांट के अनुसार उक्त आंवटन वर्ष 1977 में किया गया था। अगर वर्ष 1977 में आवंटन व कब्जा हो चुका था तो किस प्रकार अपीलांट अपना नाम जमाबंदी में नहीं जुड़वा सका। साथ ही वर्ष 2016 में जिला कलक्टर हनुमानगढ़ के आदेश के उपरांत भरे गये नामान्तरण के समय ही अपीलांट को खातेदारी कैसे याद आई। राज्य सरकार को अपनी भूमि को आंवटन करनें का पूर्ण अधिकार है। जहां तक भूमि का संबध है, उब उसकी किस्म परिवर्तित हो चुकी है। अतः उक्त के संबध में सिविल न्यायालय कार्यवाही की जा सकती है। अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मय निर्णय की प्रमाणित प्रति संलग्न कर लौटाया जावे। पत्रावली फैसलाशुमार होकर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखा जाकर दिनांक 22.02.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

22/2/23

(चंचल वर्मा आर.ए.एस.)
अतिरिक्त जिला कलक्टर

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)